

2022/207

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें.

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम शाहपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 131, 194, 133, 114 में मेरा नाम रामलाल पुत्र हीरा जाति कुमावत दर्ज है जबकि आधार कार्ड में मेरा नाम रामा पुत्र हीरा जाति कुमावत है। अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।
(अतः मुझे जो कि (मकान) है मेरा नाम रामलाल के बजाय रामा करवाने के कृपा करें।)

प्रार्थी

दिनांक:-

(शाहपुरा)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम शाहपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 131, 194, 133, 114 में प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र हीरा दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न आधार कार्ड व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम रामा पुत्र हीरा है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0 रामा पुत्र हीरा

पटवारी
शाहपुरा
(भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी रामलाल व भू0अ0नि0 रामलाल एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम शाहपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 131, 194, 133, 114 में प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र हीरा के बजाय रामा पुत्र हीरा कि जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

उपखंड 131/22
01/06/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम शाहपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 131, 194, 133, 114 में दर्ज प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र हीरा के स्थान पर रामा पुत्र हीरा संशोधन के

आदेश दिये जाते है।



उपखण्ड अधिकारी
प्रमारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)